कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :–801 / रा0प0 / 2017 दिनांक : 11 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या:–297 / XXVII(7) / 2007, दिनांक 24.10.2007 के द्वारा उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत नियम–16(1), निधि से अन्तिम प्रत्याहरण में वर्णित प्राविधानान्तर्गत मुख्यालय में समूह 'घ' तथा 'ग' के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः राजस्व परिषद् हेतु नियम–16(1) के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड को नामित किया जाता है।

एस0 रामास्वामी
अध्यक्ष।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उप राजस्व आयुक्त (प्र0) / आहरण वितरण अधिकारी, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. कार्यालय प्रति।

11.05.2017

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।

परिषदादेश संख्या–8530 / रा0प0 / 2014

प्रेषक,

सदस्य (न्यायिक) /
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांक : 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2014

विषय :– राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेश पारित करते समय मात्र पदनाम का उल्लेख किया जा रहा है,जबकि यह अनिवार्य है कि पीठासीन अधिकारी अपने निर्णयादेशों में अपने नाम का उल्लेख करें। भविष्य में राजस्व न्यायालयों के निर्णयादेशों में पीठासीन अधिकारी अपने पदनाम के साथ अपना नाम भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

कृपया इस परिषदादेश की प्रति राजस्व सम्बन्धी न्यायिक कार्य करने वाले सभी पीठासीन अधिकारियों को कठोर अनुपालन हेतु प्रसारित करें।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।